संख्या–1182/XXIV–3/17/02(123)2013

प्रेषक,

कै0आलोक शेखर तिवारी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांक 22 सितम्बर, 2017

विषयः– केन्द्र पुरोनिधानित शिक्षक शिक्षा योजनान्तर्गत 2017–18 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि (प्रथम किश्त) की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः एस.सी.ई.आर.टी./3740–43/VIII-1/2017–18, दिनांक 23 अगस्त, 2017 एवं निदेशक, मा0शि0, उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 7 सितम्बर, 2017 के संदर्भ में तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र F.44–32/2017–EE.9 दिनांक 01.08.2017 के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित शिक्षक शिक्षा योजना के अन्तर्गत राज्य के डायटस, सी0टी0ई0, आई0ए0एस0ई0, एस0सी0ई0आर0टी0 के लिए आवर्ती मदों में वेतनादि तथा कार्यक्रम एवं कियान्वयन गतिविधियों हेतु वर्ष 2017–18 में कुल रूपये 2608.53 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी है। उक्तानुसार अनुमादित धनराशि में केन्द्रांश (90%) रूपये 2347.68 लाख एवं राज्यांश (10%) के आधार पर रूपये 260.85 लाख की धनराशि निर्धारित होती है। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त पत्र के द्वारा डायटस् के लिए वेतन, मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता, कार्यक्रम एवं गतिविधियां तथा सी0टी0ई0 व आई0ए0एस0ई0 हेतु कार्यक्रम एवं गतिविधियां एवं एस0सी0ई0आर0टी0 हेतु संकाय विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रथम किश्त के रूप में 90 प्रतिशत केन्द्रांश रूपये 2347.68 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है।

2– भारत सरकार के पत्र संख्याः F.44–3/2017–EE.9 दिनांक 18.04.2017 द्वारा राज्य में शिक्षक शिक्षा की योजना को केन्द्रांश एवं राज्यांश 90% : 10% के आधार पर संचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी है। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त आधार पर प्रथम किश्त के रूप में आवंटित की गयी धनराशि के आधार पर केन्द्रांश 90% धनराशि का विवरण संलग्न तालिका के **परिशिष्ट "अ"** में उल्लिखित है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित शिक्षक–शिक्षा की योजना के अन्तर्गत डायटस, सी0टी0ई0, आई0ए0एस0ई0, एवं एस0सी0ई0आर0टी0 हेतु आवर्ती मदों में आवंटित की गयी केन्द्रांश की धनराशि के आधार पर राज्य सरकार द्वारा डायट्स के वेतनादि हेतु पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी धनराशि रू0 2105.59 लाख को समायोजित करते हुए डायटस, सी0टी0ई0, आई0ए0एस0ई0, एवं एस0सी0ई0आर0टी0 की कार्यक्रम गतिविधियों, संकाय, विकास, शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु इन्डक्शन प्रशिक्षण हेतु रू0 502.94 लाख के सापेक्ष संलग्न **परिशिष्ट–'अ'** की तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षकवार के अनुसार आय–व्ययक में वर्तमान में प्राविधानित धनराशि के

आधार पर तालिका के स्तम्भ–4 में केन्द्रांश (90%) की कुल धनराशि रू0 252.00 लाख(रू० दो करोड़ बावन लाख मात्र)की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक: 30 जून, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि भारत सरकार के उपरोक्त पत्रों में प्रदत्त निर्देशों/प्रतिबन्धों के अनुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में स्वीकृति कुल धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के अनुरूप अनुमन्य मदों पर किया जायेगा।
3. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिये कदापि न छोड़ी जाय।
4. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047 दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।
5. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों/शर्तों के आलोक में शासन के वर्तमान वित्तीय एवं प्रशासकीय नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
6. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बज़ट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
7. किसी भी शासकीय व्यय हेतु जहां कही आवश्यक हो, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन अधिनियम) वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम (बज़ट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. यह सुनिशचित कर लिया जाये कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्यूवल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
9. मितव्यता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
10. टीचर्स एजूकेशन एप्रैजल बोर्ड (T.E.A.B) में अनुमोदित मानक प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अनुसार धनराशि का व्यय किया जायेगा।
11. भारत सरकार से केन्द्रांश की देयता की धनराशि शीघ्र आवंटन/स्वीकृत कराते हुए तद्नुसार शासन को अवगत कराया जायेगा।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि में वास्तविक व्यय होने के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बचती है तब उसे नियमानुसार राज्य सरकार को वापस किया जायेगा।

13. कुल स्वीकृत केन्द्राशं की धनराशि के उपभोग के पश्चात् स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।
14. एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा आवर्ती मदों की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में उपलब्ध अवशेष धनराशि को संस्थावार निर्धारित बजटानुसार समायोजित करवाया जायेगा एवं समायोजन के उपरान्त अतिरिक्त अवशेष धनराशि को राजकोष में जमा कराने हेतु निर्देशित करेगा।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा, 105–अनौपचारिक शिक्षा, 01–केन्द पुरोनिधानित योजना, 0101–शिक्षक शिक्षा पुर्नसंरचना एवं पुर्नगठन(90:10),संलग्न **परिशिष्ट"अ"** के अनुसार, मानक मद 20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक: 30 जून, 2017 में प्रदत्त निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(कै0आलोक शेखर तिवारी)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1182/XXIV–3/17/02(123)/2013 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,त्तराखण्ड, देहरादून।
2– अवर सचिव, विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्याः F.44–3/2017–EE.9 दिनांक 18.04.2017 एवं पत्र संख्या–F.44–32/2017–EE.9 दिनांक 01.08.2017 के संदर्भ में प्रेषित।
3– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
7– बजट एवं राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर।
8– वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
9– अपर निदेशक राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(महिमा)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या– 1182/XXIV–3/2017–2(123)/2013 दिनांक 22 सितम्बर, 2017 का संलग्नक:–

परिशिष्ट–२

क0स0	लेखा शीर्षक	बजट प्राविधान	केन्द्रांश 90 प्रतिशत	राज्यांश 10प्रतिशत	अवमुक्त की जा रही केन्द्रांश की धनराशि (स्तम्भ–4 के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	**अनुदान सं0 11 आयोजनागत** 2202–सामान्य शिक्षा 02–माध्यमिक शिक्षा 105– अनौपचारिक शिक्षा 01– केन्द पुरानिधानित योजना 0101–शिक्षक शिक्षा पुर्नसंरचना एवं पुर्नरगठन,(90:10) 20– सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता	200	180	20	180
2.	**अनुदान सं0 30 आयोजनागत** 2202–सामान्य शिक्षा 02–माध्यमिक शिक्षा 105–अध्यापक प्रशिक्षण 01– केन्द्र द्वारा पुरानिधानित योजना 0101–शिक्षक शिक्षा पुर्नसंरचना एवं पुर्नरगठन 20– सहायक अनुदान/अंशदान /राज सहायता	50	45	5	45
3.	**अनुदान सं0 31 आयोजनागत** 2202–सामान्य शिक्षा 02–माध्यमिक शिक्षा 800– अन्य व्यय 01– केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 02– शिक्षक शिक्षा पुर्नसंरचना एवं पुर्नरगठन 20– सहायक अनुदान/अंशदान /राज सहायता	30	27	3	27
योग		**280**	**252**	**28**	**252**

(रूपये दो करोड़ बावन लाख मात्र)

(महिमा)
उप सचिव।